भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 521
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2021

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

521. श्री तलारी रंगैयाः
श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) के लिए राज्य–वार कुल कितनी अध्येतावृत्ति स्वीकृत की गई है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के लिए कुल कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी (पारसी) से संबंधित छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना लागू करता है, जो एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम नियमित और पूर्ण समय के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। योजना के तहत पिछले सात वर्षों यथा 2014–15 से 2020–21 के दौरान कुल 5750 अध्येतावृत्तियों की स्वीकृति की जा चुकी है जबकि पिछले दो वर्षों यथा 2019–20 से 2020–21 के दौरान कुल 1726 अध्येतावृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी है।

पिछले दो वर्षों अर्थात 2019–20 और 2020–21 के दौरान स्वीकृत राज्य–वार अध्येतावृत्ति का विवरण संलग्न है।

(ख): योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। हालांकि पिछले दो वर्षों यथा 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लाभार्थियों को 14,70,28,978 रु. तथा 8,14,90,253 रु. की राशि की अध्येतावृत्तियों का भुगतान किया गया है।

*****

''मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' के बारे में श्री तलारी रंगैया और श्री टी.आर.वी.एस. रमेश द्वारा पूछे गए एवं 22.07.2021 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 521 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत पिछले दो वर्षों अर्थात् 2019–20 और 2020–21 के दौरान स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार अध्येतावृत्ति का विवरण		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत अध्येतावृत्ति
1	आंध्र प्रदेश	7
2	अरुणाचल प्रदेश	6
3	असम	52
4	बिहार	40
5	छत्तीसगढ़	2
6	गोवा	2
7	गुजरात	19
8	हरियाणा	26
9	हिमाचल प्रदेश	9
10	जम्मू एवं कश्मीर	336
11	झारखंड	15
12	कर्नाटक	25
13	केरल	213
14	मध्य प्रदेश	24
15	महाराष्ट्र	63
16	मणिपुर	19
17	मेघालय	12
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	8
20	ओडिशा	5
21	पंजाब	106
22	राजस्थान	45
23	सिक्किम	10
24	तमिलनाडु	26
25	त्रिपुरा	2
26	उत्तर प्रदेश	320
27	उत्तराखंड	17
28	पश्चिम बंगाल	158
29	अंडमान और निकोबार	0
30	चंडीगढ़	5
31	दादरा और नगर हवेली	0
32	दमन और दीव	0
33	दिल्ली	126
34	लक्षद्वीप	0
35	पुडुचेरी	4
36	तेलंगाना	13
37	लद्दाख	7
कुल		**1726***
* अनंतिम डाटा (परीक्षा के द्वितीय चरण के आयोजित नहीं होने के कारण वर्ष 2020–21 हेतु प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।)		